

प्रेसक्र.

एवार्डी० ११८

दिव्यो राज्य

३०५० शासन।

संवा. मे,

विदेशक,
राज्य नगरीय निकाय अधिकारण,
अप्र०), लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं ग्रामी

उन्नतीन कार्यक्रम विभाग।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद अमरोहा की 03 परियोजनाओं की वित्तीय रक्कीकृति।

लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 16/३/३८/१०/ए/विविध/भनरोहा/2012-13, दिनांक 23 जुलाई, 2015 से संदर्भ में भुजे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 37 के अन्तर्गत जनपद अमरोहा की नामांकिती अमरोहा की विभागीय अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण कार्य से रा. ग्रामीण 03 परियोजनाओं हेतु रु 84.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थीरकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रश्न विरत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत मुश्तक लंबान लालिका के स्लैक्स-6 में अंकित धनराशे रु 42.19 लाख (रूपये ब्यालीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की विभागीय स्थीरकृति सहित प्रश्न एवं विवरण अंकित सहर्ष स्थीरकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल भाजपा विधायिकाओं द्वारा उन्नीस लाख की अंकित सहर्ष स्थीरकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त एक वर्षे प्रश्नगति योजना के साथ-साथ में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/60-1-1-14(31)/2012/वी, दिनांक 16 नवमी, 2013 ने दिशा-निर्देश/विवरस्था का पूर्णस्पष्ट अनुदान

करते हुए की जायेगी।
प्रश्नगति परियोजनाओं में प्रत्यावित कार्य प्रस्तुत करने से पूर्य वित्तीय हस्तापुरितका खण्ड 6 के भवान 4-12 के दातर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सहम स्वरासूल से लकड़ीकी स्थोर्फ्टे अवसर का प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य पारसं प्राप्त कर ली जायेगी तथा सकाम हारासूल से लकड़ीकी स्थोर्फ्टे प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य पारसं

फिया जायेगा।
उक्त धनराशे शासन द्वारा उक्त विभाग के अन्तर्गत निर्दीरित शासीयोजना के प्रतिवर्ती के अनुमान उचित रूप से दायर की जायेगी एवं स्थीरकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विविहितीयों, मानकों व गुणवत्ता अंकित को संरित्तित करने हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपर्युक्त धनराशे राहि निर्दीरित शासन द्वारा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित रथानीय क्रियासियों का मिल राया।

प्राप्ति-प्राप्ति।

- 4 उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित दूजे (निर्माण इकाई को उपलब्ध करने के लिए) साथें ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5 उक्त धनराशि जिस कार्य/वर्ष में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रधान दूसरी व्यय कार्यक्रम के जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं होगा। सामयिक/उपकरणों का कार्य किसी विवरण के जायेगा।

6 स्वीकृत की जा रही धनराशि देकड़ीकाघर/डिपार्टमेंट द्वारा भी नहीं रखी जायेगी। इसका आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय को जायेगी।

7 उक्त प्रयोजनों की भागीदारों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने जाएं, जिनमें संस्था/सम्बन्धित दूजा का होगा।

8 स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/सम्बन्धित व्यय शासनादेशी के अनुहृत किया जायेगा।

9 उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित दूजे इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध कराया जायेगा। इस परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा क्रियाओं अन्य रौप्य से धनराशि ग्राह की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे विशेष दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राज्यकोष में जमा कराकर शाम सुधित किया जायेगा।

10 प्रजननगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दोनों दृष्टिकोणों/पुनरावृत्ति न हो, यह दूसरे दृष्टिकोणों किया जायेगा।

11 उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, सञ्चार नगरीय विकास अभियान, 3040, लखनऊ राज्य सरकार संचालित तथा दिशाप्रद संविधि, नगरीय बोर्ड एवं गरीबी उन्मुक्ति कार्यक्रम विभाग के पाठीदारानामांग जायेगा।

12 प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राज्यकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जिले की प्रति के साथ कोषाखार का नाम, बाउदर संख्या, तिथि तथा लेखाखारीषक को दर्शाना एक वय का अवश्य उपलब्ध कराया जायेगी।

13 इस धनराशि का उपयोग वार्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य कराया जायें और इसके बाद अपार्टमेंट एवं शासन को वापस करनी होगी।

14 सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संकाय-2 232/2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी मिस्त्र दिशा-निर्देशी के ब्रज एवं रुद्रांगत लेखा शीर्ष में दिया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उल्लंघनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 व्यय हो सके।

2. अपेक्षा द्युति विवरीय दर्ता 2015/16 में अनुदान संख्या 37 में नोजना-तर्जन प्रस्तावित होकर दिए गए अनुदान से लेखार्थीयक "2217-शही विकास आयोगसमल-04-गन्दी दर्शनवेदन का विकास-051-निर्णय-03-मिलिन बासितथो तथा अन्यसंस्थायक बाहुन्य बासितथो में ३०००० रुडाइटरब्लॉकिंग तथा जाली आदि का निर्णय-00-३५-मूँजीगत धरिसम्पादितों के संजन हेतु अनुदान" के बारे दालो जावेगा।
3. यह ग्रामेश भित्ति विभाग के कार्यालय जार संख्या-2/2015/वी.१-९२५/दस-2015/231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

सुलभनक - विशेषज्ञ

अवधीय,
१०३
(एच०पी० सिंह)
दिशेष सचिव।

संख्या १००/२०१५/१८५३(१)६९-१-१५, रद्दितांक।

प्रतिवेदित निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०.२० सरोजनी नायडू गांग, इलाहाबाद।
२. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
३. निदेशक, स्थानीय विधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०. छठ्यां तल, संगम प्लैस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
४. निदेशक, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नत्यन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शाहन।
५. चिलाधिकारी/भौद्याक्ष, चिला नगरीय विकास अभियान, अमरोहा।
६. वित्त (ट्युट नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
७. वित्त अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
८. लग्न कोषाधिकारी, जवाहर अध्यन, जस्तन।
९. वित्त विवरक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लघुनक।
१०. राज्यक वेव सार्टर, सूडा को विजामीय वेव सार्टर पर अपलोड कराने हेतु।
११. गाँड़ फाइल/कन्प्यूटर सहायक/ब्लॉट समन्वयक।

आना से,

(एच०पी० सिंह)
दिशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- ८८९ /2015/1853(1)/69 । 15.53(आ)प्र० ३१/२०१५, दिनांक १० अगस्त
२०१५ का संदर्भमें।

| (प्रत्यापि लागू हो रही) | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| इन० | जनपद का नाम | निकाय | बस्ती/वाड़ का नाम/कार्य का विवरण। | परियोजना की कुल लागत। | पर्याप्ति विवर (50 प्रतिशत) |
| सं० | | | | | |
| 1. | अगरोहा | नियमित | बस्ती/वाड़ का नाम/कार्य का विवरण। | परियोजना की कुल लागत। | पर्याप्ति विवर (50 प्रतिशत) |
| 1. | अगरोहा | नियमित | बाई सं०-०१ के मोड़ला-छेवडा (परवेज नगर) में बाहुपाल मुख्य रोड रो सूक्ष्मे के मकान तक, भोल के घर से छोटे के घर तक, निरेश के घर से नार्गिले के घर तक, पाथ के घर से मलखान के घर तक व अवसर के घर से अन्यार के घर तक इंटरलाकिंग व दोनों ओर एवं टाइप नाली का निर्माण कार्य। | 33.61 | 16.805 |
| 2. | तेज | तेज | बाई सं०-०१ के मोड़ला-छेवडा (परवेज नगर) में शैनाज के मकान से फिरोज के मकान तक, गोदासुदौन के मकान से सैनाज के मकान तक, राधेश्याम के सामने, अठसर के सामने, राजा के प्लाट से मेंदासे तक, अब्दुल अजीज के मकान से असलम के मकान तक व मदरसा से कमरुहीन के मकान तक इंटरलाकिंग व दोनों ओर एवं टाइप नाली का निर्माण कार्य। | 19.92 | 9.96 |
| 3. | तेज | तेज | बाई सं०-१५ के मो० महबूब नगर में शिराज के मकान से सुहूल के मकान तक, दाउ राधाय रोड से झफर के मकान तक, मेन रोड से आलम के मकान तक, मुसलकीम के प्लाट से धनोरा रोड तक, श्री हेमराज के मकान से मनसार अहगढ़ के मकान तक, मेन रोड से हाकन अली के मकान तक व कमरु के मकान से मो० हनीफ के मकान तक इंटरलाकिंग व दोनों ओर एवं टाइप नाली का निर्माण कार्य। | 30.85 | 15.425 |
| | योग | | | 84.38 | 42.19 |

(लघुये बयालिस लाख उन्नीस हजार मात्र।)

[Signature]
(एव०पी० सिंह)
विशेष सचिव।